भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3547

उत्तर देने की तारीख 10 अगस्त, 2026

सोमवार, 19 श्रावण, 1948 (शक)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत निम्न रोजगार दर

3547. श्री नीरज मौर्य:
श्री देवेश शाक्य:
श्री बाबू सिंह कुशवाहा:
श्री लालजी वर्मा:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2015 से 2022 के बीच प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत प्रशिक्षण के दौरान 22 लाख युवाओं द्वारा बीच में ही प्रशिक्षण छोड़ने के क्या मुख्य कारण हैं;

(ख) क्या 1.10 करोड़ प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं में से केवल 23 लाख ही सत्यापित रोजगार प्राप्त कर सके हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी 87 लाख युवाओं को रोजगार न मिलने के क्या कारण हैं;

(ग) लगभग 21 प्रतिशत की अत्यधिक कम रोजगार पाने की दर के क्या कारण हैं और इन 87 लाख युवाओं पर खर्च की गई भारी-भरकम बजटीय राशि के निष्फल होने के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार का भविष्य में युवाओं को केवल प्रमाणित कागज वितरित करने के बजाय उद्योग की माँग के अनुसार शत-प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित करने के लिए अपनी नीति में कौन से बुनियादी बदलाव लाने का विचार है और इसका जौनपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ड.) क्या सरकार एटा-कासगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश में उद्योग की माँग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण को रोजगार से जोड़कर युवाओं के लिए अधिक प्रभावी नियोजन प्रणाली विकसित करने पर विचार कर रही है;

(च) क्या सरकार का उद्योगों की माँग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने, अनिवार्य नियोजन, प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण के बाद रोजगार की निगरानी के लिए नीतिगत सुधार करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत कम रोजगार दर के संबंध में क्या आकलन किया गया है और प्रशिक्षण पर खर्च किए जाने वाले सार्वजनिक निधि की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए क्या जवाबदेही तय की गई है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) वर्ष 2015 से अपनी प्रमुख योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को सफलतापूर्वक लागू कर रहा है। इस योजना के तहत देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है और पूर्व अधिगम मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशल उन्नयन एवं पुनः कौशलीकरण किया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशलों से सुसज्जित करके उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) पर एक रियल-टाइम डैशबोर्ड विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से नामांकन, उपस्थिति, प्रशिक्षण की प्रगति तथा प्रशिक्षण बीच में छोड़ने वाले अभ्यर्थियों सहित प्रमुख प्रशिक्षण संकेतकों की निगरानी की जाती है। सिद्ध के आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय-वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पीएमकेवीवाई के अंतर्गत कुल 5,22,538 अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण बीच में छोड़ने की सूचना प्राप्त हुई है। अभ्यर्थियों द्वारा प्रशिक्षण बीच में छोड़ने के विभिन्न कारण जैसे शैक्षणिक परीक्षाएँ, मौसमी रोजगार के अवसर, प्रशिक्षण पूर्ण होने से पूर्व रोजगार के प्रस्ताव प्राप्त होना, प्रवासन तथा व्यक्तिगत परिस्थितियाँ, हो सकते हैं।

(ख) और (ग): प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत योजना के प्रथम तीन चरणों अर्थात् पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0, जिन्हें वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय-वर्ष 2021-22 तक कार्यान्वित किया गया, में अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक के अंतर्गत नियोजन का विवरण दर्ज किया जाता था। पीएमकेवीवाई के इन चरणों के अंतर्गत एसटीटी में प्रमाणित 56.89 लाख अभ्यर्थियों में से 24.3 लाख अभ्यर्थियों के नियोजित होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिससे समग्र नियोजन दर 42.8 प्रतिशत रही है।

इसके अलावा, एमएसडीई की प्रमुख योजना पीएमकेवीवाई का मूल्यांकन अक्तूबर 2020 में नीति आयोग द्वारा कई राज्यों में किया गया था। अध्ययन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 94% नियोक्ताओं ने बताया कि वे पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अधिक संख्या में नियुक्त करेंगे। साथ ही, आरपीएल घटक के तहत पूर्णकालिक/अंशकालिक रोजगार प्राप्त करने वाले और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 52% उम्मीदवारों को अप्रमाणित समकक्षों की तुलना में अधिक वेतन मिला या उन्हें लगा कि उन्हें अधिक वेतन मिलेगा।

पीएमकेवीवाई का तृतीय-पक्ष प्रभाव मूल्यांकन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) द्वारा भी किया गया था। मूल्यांकन के अनुसार, सर्वेक्षण किए गए लगभग 70.5% उम्मीदवारों को उनके वांछित कौशल क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हुआ।

(घ), (ङ) एवं (च): प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के बीच संबंध को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं। पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत उद्योग जगत से संबंधित निकायों के परामर्श से विकसित तथा उभरते क्षेत्रों, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, ड्रोन प्रौद्योगिकी तथा अन्य उद्योग 4.0 क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप उद्योग-संगत एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार भूमिकाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

प्रशिक्षण को श्रम बाजार की आवश्यकताओं के साथ बेहतर रूप से संरेखित करने के लिए जिला कौशल समितियों (डीएससी) द्वारा जिला कौशल विकास योजनाएँ (डीएसडीपी) तैयार की जाती हैं, जिनमें स्थानीय कौशल अंतराल तथा रोजगार के अवसरों की पहचान की जाती है। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाते समय उद्योग की मांग तथा स्थानीय आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखा जाता है। स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) अभ्यर्थी पंजीकरण, प्रशिक्षण प्रबंधन, रोजगार के अवसरों तथा नियोक्ताओं से संपर्क के लिए एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करता है, जिससे प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के नियोजन में सुविधा होती है। इसके अतिरिक्त, कौशल मेलों तथा अन्य नियोजन-संबद्ध पहलों का समय-समय पर आयोजन किया जाता है, ताकि कुशल अभ्यर्थियों को संभावित नियोक्ताओं से जोड़ा जा सके।

इसके अलावा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के माध्यम से देशभर के प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे अभ्यर्थियों को कार्यस्थल पर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने तथा उनकी रोजगार-योग्यता में सुधार करने में सहायता मिलती है। सरकार प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रणालियों तथा समय-समय पर की जाने वाली समीक्षाओं के माध्यम से प्रमाणन एवं नियोजन संबंधी संकेतकों सहित प्रशिक्षण के प्रमुख परिणामों की भी निगरानी करती है।

पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत 30.06.2026 तक जौनपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 8,012 अभ्यर्थियों तथा एटा-कासगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 10,606 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित/अभिमुखीकृत किया गया है।

(छ) गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एमएसडीई समय-समय पर पीएमकेवीवाई का स्वतंत्र मूल्यांकन करता है। हाल ही में, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के एक स्वायत्त संस्थान, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम) द्वारा पीएमकेवीवाई 4.0 का एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष प्रभाव मूल्यांकन पूरे देश में किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण ने एसटीटी उम्मीदवारों के रोजगार परिणामों में उल्लेखनीय सुधार लाने में योगदान दिया है। रोजगार प्राप्त और स्व-रोजगार प्राप्त एसटीटी उत्तरदाताओं का संयुक्त हिस्सा प्रशिक्षण से पहले 26.6% से बढ़कर पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण के बाद 45.4% हो गया, जो 18.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्शाता है। आय संबंधी परिणाम भी सकारात्मक बदलाव दिखाते हैं, जिसमें 41.4% एसटीटी उम्मीदवारों और 48.9% आरपीएल उम्मीदवारों ने प्रशिक्षण और प्रमाणन के बाद आय में वृद्धि दर्ज की है।

सरकार ने पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत व्यापक सुधारात्मक उपाय किए हैं, जिनमें आधार-आधारित ई-केवाईसी, चेहरे की पहचान और जियो-टैग उपस्थिति, क्यूआर-कोड वाले डिजिटल प्रमाणपत्र, स्किल इंडिया डिजिटल हब पर रीयल-टाइम डैशबोर्ड, एनसीवीईटी के माध्यम से मूल्यांकनकर्ता और प्रशिक्षण केंद्र प्रत्यायन को मजबूत करना, कौशल समीक्षा केंद्र के माध्यम से स्वतंत्र निगरानी, स्पष्ट केपीआई के साथ संशोधित निगरानी दिशानिर्देश और एक मजबूत दंड और वसूली ढांचा शामिल हैं। जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया गया, वहां निलंबन, ब्लैकलिस्टिंग, धन की वसूली और अन्य कठोर कार्रवाई की गई है, जिससे योजना के तहत मजबूत जवाबदेही, सत्यापन और निगरानी तंत्र को संस्थागत रूप दिया गया है।
